

प्राकृतिक आपदा के कारण घटित दुर्घटना जैसे- अतिवृष्टि/बाढ़/आगजनी/पानी के तेज बहाव/आंधी तूफान/आकाशीय बिजली इत्यादि में हुई क्षति के लिए एसडीआरएफ (SDRF) मद से आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र/अग्रेषण पत्र

मे गोतम पुत्र/पत्नी/पति मनजी जाति भील निवासी जिचला पतिला
ग्राम पंचायत गामडीनाशम पटवार जालाना मण्डल उरकुन तहसील मरकुन जिला
बांसवाड़ा का हूँ दिनांक 22.08.22 को घटित प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के लिये निम्नानुसार
आवेदन /निवेदन करता हूँ :-

“ भाग -अ” परिवार के सदस्यों का विवरण अंकित करें

क्र.स.	सदस्यों के नाम	आयु	परिवार के मुखिया से संबंध	व्यवसाय
1	गोतम लाल	72	सुपुत	कृषि
2	कुंवर	63	पत्नी	
3				
4				
5				
6				

“ भाग -ब” मानव की मृत्यु/घायल के मामलों में मरा जाना

क्र.स.	विवरण	अंकित किये जाने वाले विवरण
1	घटना की दिनांक <u>22-8-2022</u>	
2	घटना स्थल <u>गामडीनाशम जिचला पतिला</u>	
3	घटना की प्रकृति	
4	मृत/घायल व्यक्ति का नाम, आयु एवं पूर्ण पता	
5	मृत/घायल व्यक्ति का व्यवसाय	
6	दुर्घटना का परिणाम मृत/गंभीर/साधारण घायल	
7	घटना के कारण आँख, हाथ, पैर, आदि की स्थायी रूप से क्षति हुई है तो विवरण अंकित करें	
8	घटना के कारण चिकित्सालय में मर्ती होने का विवरण अंकित करें	
9	आवेदनकर्ता का नाम पूर्ण पता	
10	मृत्यु के मामलों में मृतक से आवेदक का संबंध में	
11	आवेदक का मोबाईल नंबर <u>7231007232</u>	

नोट:-

- प्राकृतिक आपदा का अनिप्राय बाढ़/अतिवृष्टि के कारण मकान ढह जाने/आगजनी के कारण मृत्यु/घायल एवं पानी के तेज बहाव में बह जाना है। यह ज्ञान होते हुए भी कि नदी/नाला/पुल/रफ्ट पर अत्यधिक पानी एवं तेज बहाव है, पार करने पर घटित दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु का लाभ देय नहीं है।
- मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र/एफ.आई.आर. इत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है।

3. स्थायी/साधारण घायल के मामले में चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें क्षति का प्रतिशत उल्लेखित हो एवं चोट प्रतिवेदन संलग्न किया जाना आवश्यक है।
4. गंभीर होने के मामले में चिकित्सालय में भर्ती होने व छुट्टी होने की तिथि बाबत प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
5. प्रत्येक मामले में संबंधित पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है साथ ही परिवार का राशन कार्ड भी संलग्न किया जाना आवश्यक है।

“ भाग -स” क्षतिग्रस्त मकान के मामले में भरा जाना

क्र. सं.	मकान (कच्चा/पक्का/झोपड़ी) अंकित करें	क्षति का विवरण (पूर्ण/गंभीर/आंशिक) अंकित करें	मकान क्षति की अनुमानित राशि	घटना की दिनांक	प्राकृतिक घटना का कारण
	जल्दी	गंभीर	60,000/-	22-08-22	अतिवृष्टि

नोट:-

1. आगजनी के मामले में पुलिस में दर्ज रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के अभाव में तकनीकी सहायक द्वारा मकान का क्षति मूल्यांकन प्रमाण पत्र लगाया जाना आवश्यक है।
3. मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र या मकान पट्टा एवं मकान पूर्ण क्षति होने पर एक मकान होने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी या ग्राम सचिव द्वारा जारी कर लगाया जाना आवश्यक है।

“ भाग -द” पशु क्षति के मामले में भरा जाना

क्र. सं.	पशुओं का प्रकार	कृषक/पशु पालक के पास उपलब्ध कुल पशुओं की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	मृत पशुओं का अनुमानित मूल्य	दुर्घटना की दिनांक	प्राकृतिक दुर्घटना का कारण
1	2	3	4	5	6	7
(अ) दुग्धक पशु						
1	गाय					
2	गाय					
3	ऊटनी					
4	मैंड					
5	बकरी					
(ब) अदुधक पशु						
1	ऊट					
2	बैल/सांड					
3	घोड़ा					
4	बछड़ा					
5	गधा					

नोट :-

1. प्रत्येक मृत पशु के मामले में पशु चिकित्सक द्वारा जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न किया जाना आवश्यक है।
2. पटवारी का मौका पर्चा संलग्न किया जाना आवश्यक है। 2-1-2022

“ भाग -य” फसल क्षति के मामले में भरा जाना

केवल खेत में खड़ी फसल पर सहायता देय है। (मकान, खलियान पर रखी फसल पर सहायता देय नहीं है।)
आवेदनकर्ता खातेदार के पास उपलब्ध कृषि खाते की भूमि का विवरण
कृषक की श्रेणी (लघु/सिमान्त) आदि)

पटवार मण्डल	तहसील	खाता संख्या	कुल रकबा (हैक्टेयर में)	
			सिंचित	असिंचित
1	2	3	4	5

घोषणा

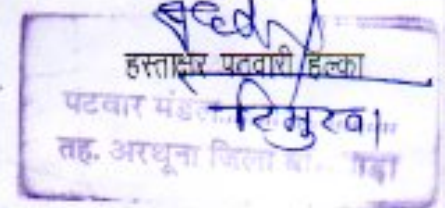
मैं मोहम्मद अली पुत्र/पत्नी/पति मनजी निवासी निचला पोतवा
जाति भिल का होकर यह घोषणा करता हूँ कि प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त सूचना सही एवं सत्य है।

हस्ताक्षर/अंगुठा प्रार्थी

पटवारी रिपोर्ट

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों की पुष्टि की जाकर नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत सिद्ध करने की अनुशंसा की जाती है। पर्याप्त मौका एवं अपेक्षित अभिलेख/प्रमाणित प्रति संलग्न है।

अनुशंसा/अग्रेषण प्रपत्र



क्रमांक:-

दिनांक :- 12/9/22

मूल प्रार्थना पत्र उपरोक्त दस्तावेज के साथ जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा) बाँसवाड़ा को अग्रेषित करते हुए प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की भली भाँति जांच पड़ताल करा ली गई है, तथा उक्त घटना प्राकृतिक आपदा की परिभाषा के अन्तर्गत है, तथा घटना की पुष्टि करते हुए नियमानुसार एसडीआरएफ मद से सहायता राशि स्वीकृत करने की अनुशंसा/सिफारिश की जाती है।

हस्ताक्षर तहसीलदार

तहसीलदार

अरधूना जिला बाँसवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर उपखण्ड अधिकारी

मकान क्षति का मूल्यांकन प्रमाण-पत्र

दिनांक 13.9.2020 को मेरे द्वारा ग्राम बिचल्ला-पटेल में प्राकृतिक आपदा के दौरान क्षति होने से श्री श्री रामलाल पिता मनजी जाति भील के मकान पर मौका जांच की गई। मौके पर मकान में अक्षीर क्षति पाई गई। कच्चा/पक्का मकान या झोपड़ी पूर्ण/गंभीर/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होना पाया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अनुमानित नुकसान 60,000/- रु

हस्ताक्षर 
कनिष्ठ अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
पंचायत समिति
अरुणा जि. बामवाड़ा

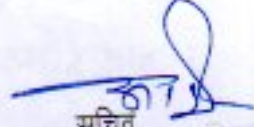
-::कार्यालय ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....-
 आरक्षी गरीमन आरक्षी

क्रमांक: 38

दिनांक: 12/9/22

- :: मकान का अधिकृत निर्माण प्रमाण पत्र :: -

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओत्तम लाल पिता मनजी निवासी गिचला पोरेला का मकान ग्राम
 पंचायत आरक्षी गरीमन आरक्षी तहसील आरक्षी गरीमन आरक्षी में बना हुआ था। इनका मकान गांव गिचला पोरेला में बना हुआ था इसका
 "प्रमाण पत्र" जारी किया जाता है।

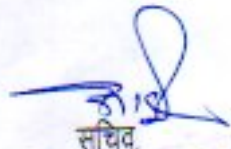

 सचिव,
 ग्राम पंचायत आरक्षी गरीमन आरक्षी
 पं.स. आरक्षी गरीमन, बांसवाड़ा (राज.)

-:: एक मकान होने का प्रमाण पत्र ::-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ओत्तम लाल पिता/पत्नी मनजी
 निवासी गिचला पोरेला ग्राम पंचायत आरक्षी गरीमन आरक्षी तहसील आरक्षी गरीमन आरक्षी जिला बांसवाड़ा का यह एक मात्र
 मकान है। इसके अलावा इनका कोई अन्य मकान नहीं है। जो अतिवृष्टि/भारी वर्षा/आगजनी से पूर्ण रुप से क्षतिग्रस्त हो चुका
 है।

पटवारी विष्णु
 पटवार मण्डल विष्णु
 पटवार मंडल विष्णु
 तह. आरक्षी गरीमन, बांसवाड़ा

अतिवृष्टि
 आरक्षी गरीमन, बांसवाड़ा (राज.)


 सचिव,
 ग्राम पंचायत आरक्षी गरीमन आरक्षी
 पं.स. आरक्षी गरीमन, बांसवाड़ा (राज.)

मौका पर्चा

आज दिनांक 23.08.22 को सुचना

मिलने पर पटवार मंडल टिमुरा के ग्राम के श्री
 गोल्म... पिता ... मन्नी... जाति ... के मकान पर पहुंचा। मौके
 पर उपस्थित मौतबिरानो ने बताया कि दिनांक 22.08.22 को भारी वर्षा (
 अतिवृष्टि) होने से श्री गोल्म... पिता ... मन्नी... जाति
 ... का कच्चा / पक्का मकान आंशिक / पूर्ण रूप से गिर
 गया जिसका अनुमानित नुकसान 60,000/- हुआ है। मौके पर
 उपस्थित मौतबिरानो के रूबरू मौका पर्चा बनाया जाकर पढकर सुनाया
 गया, बाद हस्ताक्षर / अंगूठा निशान लिए गए।

सुनिश्चि
 सरपंच

ग्राम पंचायत गामडी नारायण
 पंच. अरधुना जि. बोंसवाड़ा (राज.)

लक्ष्मणलाल

वार्ड पंच वार्ड नं 5

शमरा

रावजी

कमनी

नि. पोना

जोशना

गणेश

पुंजीलाल

मणीलाल चरपोटा

हरदर

सोहनलाल चरपोटा

अनिता

नि. वजा मुकेश

मो. गा.

विमल चरपोटा